

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोडरमा ।

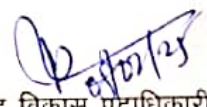
कार्यालय आदेश

पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2884, दिनांक-06.12.2024 के तहत दिये गये निर्देश के आलोक में प्रखण्ड के सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना(GPDP) 2025-26 के तहत ग्राम स्तर पर आयोजित ग्राम सभा में प्रस्तावित योजनाओं का समेकन कर e-Gramswaraj Portal में इन्ट्री किया जाना प्रावधानित है। जिसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभा करने हेतु रोस्टर तैयार किया गया है।

अतः संबंधित GPFT के सदस्य को निदेश दिया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में रोस्टर के अनुसार पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभा आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे:-

क्र०स०	पंचायत का नाम	विशेष ग्रामसभा की बैठक	समय
1	मेघातरी	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
2	करमा	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
3	झुमरी	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
4	छतरबर	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
5	जरगा	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
6	चाराडीह	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
7	पथलडीहा	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
8	बेकोबार उत्तरी	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
9	बेकोबार दक्षिणी	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
10	झुमरडीहा	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
11	पाण्डेडीह	27.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
12	लोकाई	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
13	इन्दरवा	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
14	लरियाडीह	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
15	पुरनानगर	27.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
16	खरकोटा	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
17	कोलगरमा	27.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०
18	गझण्डी	25.02.2025	10:00 पूर्वा० से 5:00 अप०

अतएव विशेष ग्राम सभा का फोटोग्राफ koderma Block के व्हाट्सप ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं बैठक समाप्ति के पश्चात् बैठक की एक प्रति प्रखण्ड कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
कोडरमा।

ज्ञापांक 183

दिनांक 08/02/2025

प्रतिलिपि:- सभी GPFT (ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल) के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

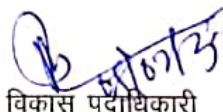
प्रतिलिपि:- सभी पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सेवक को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि विशेष ग्राम सभा अपने देख-रेख में कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- सभी कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी मुखिया, प्रखण्ड कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कोडरमा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, कोडरमा को सादर सूचनार्थ समर्पित।


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
कोडरमा।